

कार्यालय आदेश

6080
10/5/2018

श्रीमति मनोरमा, उप अधीक्षक, कार्यालय सिविल सर्जन, ई0एस0आई0 हैल्थ केयर, गुरुग्राम को वेतनमान FPL-7 Rs. 44,900/- में हरियाणा सिविल सेवा सामान्य नियम 2016 के नियम 8(61) के अन्तर्गत विभागाध्यक्ष को प्रदत्त शक्तियों अनुसार अधीक्षक के पद पर स्थानापन्न नियुक्ति (Officiating Appointment) करते हुए ई0एस0आई0 हस्पताल, भिवानी में अधीक्षक के रिक्त पद के विरुद्ध लगाया जाता है।

यह लिपिक वर्गीय अमले की वरिष्ठता का अनुमोदन होने तथा न्यायालय/उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठता/पदोन्नति में आरक्षण रिट पटीशन/एस0एल0पी0 के निर्णय के विदआउट प्रिज्यूडिस होगी।

दिनांक, चन्डीगढ़
27.04.2018

अनिल मलिक
निदेशक ई0एस0आई0 हैल्थ केयर, हरियाणा

पृ० क्रमांक 101/87-1स्था0-2ई0-2018/ 2455-2459

दिनांक 08-05-18

इस की एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है:-

1. सिविल सर्जन, ई0एस0आई0, स्वास्थ्य संरक्षण, गुरुग्राम/भिवानी।
2. चिकित्सा अधीक्षक, ई0एस0आई0 हस्पताल, भिवानी।
3. श्रीमति मनोरमा, उप अधीक्षक, कार्यालय सिविल सर्जन, ई0एस0आई0 हैल्थ केयर, गुरुग्राम।
4. चिकित्सा अधिकारी (कैब) पोर्टल अपडेट करने बारे।

DSC

hi
09.05.18

चिकित्सा अधिकारी (मुख्यालय)
कृते: निदेशक, ई0एस0आई0, हैल्थ केयर, हरियाणा।

08.5.2018
Qua